पत्रांकः—उप / मु०मं०नि०यो०—19—04 / 2016(पार्ट—1) / 4056 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29/06/2020

विषयः— **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली—नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन, उपयोगिता तथा प्रमाण पत्र के संबंध में।**

प्रसंगः— **विभागीय पत्रांक—907, दिनांक—05.02.2020।**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली—नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न अवयवों तथा कार्य स्वरूप से संबंधित विस्तृत दिशा—निदेश आप सभी को दिये गये है।

उपरोक्त पत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यपूर्णता उपरान्त विभागीय स्तर से तीन प्रमाण पत्र विभाग को यथोक्त अनुरूप उपलब्ध कराने हेतु आप सभी को संसूचित है। उल्लिखित है कि कतिपय ग्राम पंचायतों के कुछ ही वार्डों में विभिन्न आकस्मिकताओं के कारण निर्धारित समय—सीमा की पूर्णता उपरान्त भी अब तक कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। उपरोक्त योजना की पूर्णता हेतु आपके सार्थक प्रयास आवश्यक है।

विभागीय समीक्षा से स्पष्ट है कि विभिन्न जिलों के अधिकांश वार्डों में दोनो निश्चय योजना पूर्ण भी की जा चुकी है। अतएव दिये गये निदेश के आलोक में वैसे सभी संबंद्ध पूर्णता प्राप्त पंचायतों से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से विभाग को उपर्युक्त तीनों प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

विश्वासभाजन

26.6.20

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

D:\Subandhu Sir (2020)\Letter-2020.docx

कृ०पृ०उ०...

ज्ञापांकः–3प / मु०मं०नि०यो०–19–04 / 2016(पार्ट–1) / 4056 / पं०रा०,पटना,दिनांक 29 / 06 / 2020
प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी पंचायतों, प्रखण्डों से निर्धारित प्रपत्र में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने अनुमोदन से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

26.6.20

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–3प / मु०मं०नि०यो०–19–04 / 2016(पार्ट–1) / 4056 / पं०रा०,पटना,दिनांक 29 / 06 / 2020
प्रतिलिपिः–मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.6.20

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

D:\Subandhu Sir (2020)\Letter-2020.docx

पत्रांक-अ/मु.ग्रा.नि.योज 15-04/2016 (पार्ट-1) पं०रा० 907

बिहार सरकार

<u>पंचायती राज विभाग</u>

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 5 / 2 / 2020

विषयः मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर, जिलाधिकारी के नेतृत्व, मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं निर्देशन में प्रबंधित हो रहा है।

2. दोनों निश्चय योजनाओं में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर के अभिलेखों का मार्गदर्शिका के अनुरूप संधारण सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। समीक्षा के क्रम में बार–बार यह निदेश दिया जाता रहा है कि वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्षों एवं सचिवों का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित कराकर उन्हें हैंड होल्डिंग सहायता देकर अभिलेखों का उचित संधारण करा लिया जाए।

3. आशा है कि आपके द्वारा इस निदेश का शत–प्रतिशत पालन कर लिया होगा।

4. दोनों निश्चयों में उपयोग की जा रही धनराशि नियमों के अनुरूप व्यय हो, इसे सुनिश्चित कराना आपका उत्तरदायित्व है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों

तथा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई राशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। आशा की जाती है कि आपके द्वारा सभी ग्राम पंचायतों तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का अंकेक्षण सुनिश्चित करा लिया होगा। अंकेक्षण उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदनों पर उचित कार्रवाई कर ली होगी। इस हेतु लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायकों की नियुक्ति की गई है, जो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

5. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना सरकार के सुविचारित निश्चय है, जिनमें लक्ष्यों की शत–प्रतिशत उपलब्धि समय–सीमा के अन्दर की जानी है। दोनों निश्चय योजनाओं के लिए समय–सीमा निर्धारित है। तद्नुसार धनराशि, मानव बल एवं दिशा–निर्देश **उपलब्ध कराये जा चुके हैं। स्वाभाविक तौर पर समय–सीमा के अन्दर निर्धारित लक्ष्यों** के अनुरूप कार्यपूर्णता सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है।

6. तद्नुसार विभाग ने निम्नलिखित तीन प्रमाण–पत्र आपसे प्राप्त करने का निर्णय लिया है, निर्देश दिया जाता है कि ये सभी प्रमाण–पत्र 31 मार्च, 2020 तक **अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जायें :–**

(i) <u>अभिलेखों का उचित रख–रखाव एवं संधारण प्रमाण–पत्र–</u>

"प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप जिले के सभी प्रखंडों में अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित कर लिया गया है। अभिलेख की एक प्रति ग्राम पंचायत सचिव के पास सुरक्षित रख दी गई है। अभिलेख की एक प्रति पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर स्कैन कर अपलोड कर दी गई है।"

(ii) **अंकेक्षण पूर्णता प्रमाण–पत्र –**

"प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत सभी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करते हुए 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए अंकेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अधिशेष राशि की वापसी, अनियमित व्यय की वसूली एवं उचित प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है।"

(iii) **निश्चय पूर्णता प्रमाण–पत्र –**

"प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत जिले के लक्ष्य के अनुरूप सभी घरों में हर घर नल का जल का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है एवं प्रतिदिन के आधार पर घरों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। योजना का सतत् संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था कर दी गई है एवं वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा उपभोक्ता शुल्क की वसूली आरंभ कर दी गई है।"

7. इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के लिए निम्नलिखित तीन प्रमाण–पत्र आपसे प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

(i) **अभिलेखों का उचित रख–रखाव एवं संधारण प्रमाण–पत्र–**

"प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप जिले के सभी प्रखंडों में अभिलेखों का रख–रखाव

सुनिश्चित कर लिया गया है। अभिलेख की एक प्रति ग्राम पंचायत सचिव के पास सुरक्षित रख दी गई है। अभिलेख की एक प्रति पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर स्कैन कर अपलोड कर दी गई है।"

(ii) **अंकेक्षण पूर्णता प्रमाण–पत्र –**

"प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अन्तर्गत सभी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करते हुए 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए अंकेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अधिशेष राशि की वापसी, अनियमित व्यय की वसूली एवं उचित प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है।"

(iii) **निश्चय पूर्णता प्रमाण–पत्र –**

"प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अन्तर्गत जिले के लक्ष्य के अनुरूप ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में गली–नाली पक्कीकरण का कार्य कराया जा चुका है। हर घर तक पक्की गली एवं नाली बनाई जा चुकी है।"

8. निदेश दिया जाता है कि उक्त प्रमाण–पत्र समय–सीमा के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाए। स्वभाविक तौर पर आपके द्वारा प्रमाण–पत्र भेजने के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से उक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त करने होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उक्त आशय का प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायतवार प्राप्त करने होंगे।

9. चूँकि दोनों निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में हो रहा है। अतः प्रमाण–पत्र प्रेषित करने के पूर्व संचिका में जिला पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत प्रमाण–पत्र संसूचित किये जाएं।

विश्वासभाजन

5.2.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक [illegible]/प0रा0 907 पटना, दिनांक 5/2/2020

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.2.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक [illegible]/प0रा0 907 पटना, दिनांक 5/2/2020

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.2.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव